भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3696 का उत्तर

देश भर में रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियों/लिफ्ट की स्थापना

3696. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भिन्न रूप से सशक्त यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों को समावेशी और सुगम्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां/लिफ्ट लगाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियों/लिफ्ट के स्थापित हो जाने के बाद उनका समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) और कम गतिशील यात्रियों के लिए

अपने रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, भारत के राजपत्र में "विभिन्न दिव्यांगजनों और कम गतिशील यात्रियों के लिए भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित और अधिसूचित किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में प्रवेश रैम्प, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई वाले टिकट खिड़की/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैम्प/लिफ्टों के साथ सब-वे/फुट ओवर ब्रिज, ब्रेल साइनेज सहित मानक प्रदर्श-व्यवस्था और दृष्टि अशक्त लोगों के लिए स्पर्श्य मार्ग आदि जैसी दिव्यांगजनों से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं।

रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की गई है। अभी तक, भारतीय रेलों पर 1337 रेलवे स्टेशनों का अभिनिर्धारण किया गया है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार करना और रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट', जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में लंबी अवधि के दौरान स्टेशन इमारत में सुधार, स्टेशन का शहर की दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, आवश्कतानुसार गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार और स्टेशन पर सिटी सेन्टर्स के निर्माण की संकल्पना की गई है।

रेलवे स्टेशनों पर लिफ्टों और एस्केलेटरों सहित यात्री सुविधाओं की व्यवस्था/सुधार सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है और इस संबंध में आवश्यकतानुसार कार्य किए जाते हैं जो कि पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्ग, बीमार यात्रियों की आसानी से आवाजाही और प्लेटफार्मों तक सुचारू पहुंच की सुविधा के लिए एस्केलेटरों की व्यवस्था की गई हैं।

इसके अलावा, 'सुगम्य भारत अभियान' के हिस्से के रूप में, दिव्यांग यात्रियों के लिए विभिन्न स्टेशनों की पारस्परिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता और लिफ्टों के प्रावधान के लिए व्यवहार्यता के आधार पर रेलवे स्टेशनों पर लिफ्टों का प्रावधान किया जा रहा है।

स्वचालित सीढ़ियों और लिफ्टों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके एक भाग के रूप में, नवंबर 24 तक, भारतीय रेल में 399 रेलवे स्टेशनों पर 1512 एस्केलेटर और 609 रेलवे

स्टेशनों पर 1607 लिफ्टों की व्यवस्था की गई हैं। वर्ष 2014-24 की तुलना में 2004-14 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर लिफ्टों/एस्केलेटरों की व्यवस्था की प्रगति निम्नानुसार है:-

	वित्त वर्ष 2004-14	वित्त वर्ष 2014-24
एस्केलेटरों	143 अदद	1307 अदद (9 गुना)
लिफ्टों	97 अदद	1357 अदद (14 गुना)

इसके अलावा, भारतीय रेल ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के संबंध में आवधिक जांच हेतु तंत्र मौजूद है और अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों की देखरेख के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। परिसंपत्तियों का नियमित निरीक्षण किया जाता है और शिकायत, यदि कोई हो, पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

*****